

**BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**  
OA NO 662/2024

In re:

Gopal Chandra Vanwassi

Complainant

VERSUS

Ministry of Mines & ors.

..Respondents.

INDEX

S.No	Particulars	S.No.
1.	Report by Respondent no 3	1-42

Dated 15.1.2025

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,  
जनपद बागेश्वर।

संख्या 1045/भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024-25,

दिनांक: 08/01/2025

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,  
नई दिल्ली-110001।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original application No. 662/2024 में दिनांक 31 मई 2024 एवं 04.07.2024 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original application No. 662/2024 में दिनांक 31 मई 2024 एवं 04.07.2024 को पारित आदेश एवं याचिकाकर्ता गोपाल बनवासी पुत्र श्री मदन राम निवासी ग्राम रीठा पोस्ट कन्धार तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर के पत्र दिनांक 28.09.2024 की प्रति कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पारित आदेश के क्रम में दिनांक 28.09.2024 के अनुपालन में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:-

- राज्य आपदा प्रबन्धन ने सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर को भूकम्प की दृष्टि से जोन 5 में रखा गया है। सोपस्टोन खनन पट्टे आवेदन किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे को प्राप्त जांच आख्याओं के आधार पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- खडिया खनन क्षेत्र के लिए अवैध रूप से कच्चे मोटरमार्ग का स्वेच्छा से किया जाने को लेकर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1733/VII-A-1/2024-24ख/2007 टी0सी0-1, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 के अध्याय-5 नियम 37 (घ) के अनुसार "उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना। यदि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई गूल/नाला/मार्ग के कारण खनन कार्य प्रभावित होता है तो स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही उक्त स्थानों की प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वयं के व्यय पर कर सकता है। स्वीकृत खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग/कच्चा मार्ग का निर्माण राज्य सरकार की भूमि में अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है।
- वर्तमान में जनपद अन्तर्गत किसी भी पट्टाधारक द्वारा पुंगर नदी के प्रवाह का परिवर्तित होना कही नहीं पाया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनपद बागेश्वर अन्तर्गत पुंगर नदी, अन्य नदी एवं खनन क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे के समीप स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टों का निरीक्षण किया गया। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत खनन पट्टाधारको के द्वारा क्षेत्र के बाहर डाला गया मलवा व नदी व रौलियों में

मलवा डालने पर विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है निरीक्षण उपरान्त की गयी कार्रवाही (संलग्न) का अद्यतन विवरण निम्नानुसार है

- दिनांक 20.06.2024 को ग्राम भैरुचौबटवा तहसील व जनपद बागेश्वर में श्री हरीश चन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम चौरा तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा में खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र से बाहर मलवा/मिट्टी डाली गयी है तथा खनन क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में मलवा डाला गया है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
- दिनांक 25.06.2024 को ग्राम खोलियागांव पो0 ओ0 चौरा जनपद बागेश्वर में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन का खनन पट्टा की जाँच शिकायतकर्ता श्री पारस उपाध्याय द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में संयुक्त जांच/निरीक्षण, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश 3116 दिनांक 16 अगस्त, 2024 के क्रम में पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्तर्गत कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 13.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र से बाहर पड़ा मलवा हटा दिया गया है।
- दिनांक 26.06.2024 को तहसील दुगनाकुरी के ग्राम महोली में श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल निवासी ग्राम किरौली, पोस्ट सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लछम सिंह धामी निवासी ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का निरीक्षण राजस्व विभाग तथा खनन विभाग द्वारा सम्पन्न किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से निकला मलवा अपने खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत भूमि व रीलियों में डाला गया है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
- दिनांक 02.07.2024 को पट्टाधारक मै0 गुच्छेटी गाईंस पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार के पक्ष में जनपद व बागेश्वर ग्राम नौगांव तोक गुरछेटी में 4.281 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का

संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग व खनन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे/मिट्टी को अपने खनन क्षेत्र से बाहर डाला गया है तथा मलवा/मिट्टी खनन क्षेत्र से बाहर रास्यू नदी में प्रवाहित हो रहा है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

- मै0 के0आर0डी0 मिनरल्स के पक्ष में तहसील व जनपद बागेश्वर के ग्राम भाटनीकोट बगडुगरा नोक कमंडेत अन्तर्गत 03.147 है0 में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा में 02.08.2024 को भूतत्व एवं खनिकर्मा विभाग जनपद बागेश्वर तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त के क्रम इस कार्यालय पत्र संख्या 458 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा पट्टाधारक को स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे से खनन कार्य के उपरान्त निकले मलवे/मिट्टी को नदी में प्रवाहित होने से रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर सूचना जिलाधिकारी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। पुनः दिनांक 19.11.2024 को ग्राम बगडुगरा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बिलखेत में खनन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मै0 के0 आर0 डी0 मिनरल्स के खनन पट्टे का निरीक्षण किया गया। मौका स्थल पर कुछ पीलर नहीं पाये गये पट्टाधारक द्वारा नदी तल से पत्थरों की टिपार लगायी गयी है जो मानचित्र के अनुसार पीलर नं0 5, 6 व 7 मध्ये के बीच लगी है। पीलर संख्या 05 राजस्व अभिलेख के खेत नं0 20 मध्ये दर्ज है। पीलर संख्या 06 खेत नम्बर 18 मध्ये दर्ज है। पट्टाधारक द्वारा किये गये खनन कार्य से क्षेत्रान्तर्गत भू-स्खलन हुआ है। पूर्व में किया गया खनन का मलवा व भूस्खलित मलुवा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खेत नं0 19 एवं 20 मध्ये आया हुआ है जिसके क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।
- दिनांक 27.12.2024 को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा तहसील दुगनाकुरी के ग्राम किडई में श्री प्रवीण सिंह पपोला के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा का निरीक्षण श्री प्रवीण सिंह पपोला के प्रतिनिधि श्री जगदीश सिंह चौहान कि उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र मानचित्र से मिलान करने पर पूर्व में किये गये खनन कार्य से निकला मलवा स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर सैली में जा कि खेत सं0 5042 म0 दर्ज है से जुडी हुई भूमि जिसके खेत नं0 4444 से ल कर 4467 तक रखा हुआ पाया गया है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है। दिनांक 27.12.2024 को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पचार में मै0 मॉ दुर्गा माइन्स एण्ड मिनरल्स भागीदार श्री जीवन सिंह शाही एवं श्री ठाकुर सिंह गढिया के पक्ष में 12.360 है0 में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक के द्वारा अपने खनन क्षेत्र में खनन करने उपरान्त खनन क्षेत्र का मलवा खनन क्षेत्र से बाहर खनन क्षेत्र के

- घोलेर सड 8 और 9 से बाहर मलवा उक्त खेत नं० 3122 ग०, 3127 ग०, 3128 ग०, 3129, 3130, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3615, 3620, 3633 ग०, 3634, 3638 ग०, 3639 3639 ग० आदि में फेंका हुआ पाया गया। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।
3. मै० समम गिनरल्स सोपस्टोन के पट्टाधारक श्री दर्शन सिंह खेतवाल के पक्ष में ग्राम करुली पट्टी तुपेड तहसील व जनपद बागेश्वर में स्वीकृत 4.497 है० खनिज सापेस्टोन पट्टे का दिनांक 19.12.2024 को संयुक्त निरीक्षण खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा खान प्रबन्धक श्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान माइन का मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ पाया गया उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।
4. मै० सुरकालीगाँव सोपस्टोन माईन के पट्टाधारक श्री ठाकुर सिंह गड़िया के पक्ष में ग्राम सुरकाली तहसील दुगनाकुरी जनपद बागेश्वर में स्वीकृत 2.231 है० खनिज सापेस्टोन पट्टे का दिनांक 15.12.2024 को संयुक्त निरीक्षण खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान माइन का मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रखा हुआ पाया गया उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।
5. खडिया लाइसेंस कुन्ती परिहार सोपस्टोन के पक्ष में ग्राम बैड़ा-मझेड़ा तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर में स्वीकृत खनिज सापेस्टोन पट्टे का दिनांक 31.08.2024 को संयुक्त निरीक्षण खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा शिकायतकर्ता श्री नवीन भट्ट, श्री भुवन भट्ट तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री रमेश राठौर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान माइन का मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर सौली तथा खेतों में रखा हुआ पाया गया उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी जिसकी अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।
4. वर्तमान प्रकृतित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 में सोपस्टोन खनन पट्टे क्षेत्रान्तर्गत हरित पट्टिका बनाये जाने सम्बन्धी कोई प्राविधान वर्तमान में नहीं है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से विचार-विमर्श करने के उपरान्त दिये गये निर्देशों के क्रम समस्त सोपस्टोन पट्टाधारकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक स्वीकृत खडिया पट्टाधारकों से खनन क्षेत्र के समीप पंचायतों में 2000 रोपण दिनांक 30.09.2024 तक कराने उपरान्त पौध रोपण की सूचना मय फोटोग्राफ जिलाधिकारी, कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय तथा इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. खनन पट्टे क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रों के अन्तर्गत नियमानुसार खनन कार्य किया जाता है। खनन कार्य हेतु भारी मशीनों के संचालन की अनुमति खान निदेशालय गाजियाबाद रो तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से प्राप्त की जाती है। अतः खनन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
6. पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन कार्य से सार्वजनिक सम्पत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचती है तो सम्बन्धित पट्टाधारक द्वारा मरम्मत/निर्माण कार्य करवाया जाता है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यारा से विकास कार्य करवाये जाते हैं।
7. उत्तर बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय  
  
(जिजासा विष्ट)  
प्रभारी जिला खान अधिकारी

Email.dir.ukdgm@gmail.com  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या मु0ख0-VII-(i)/71/खनन/बागे0/मु0खनि0नि0/2007-08/24

दिनांक 14 अगस्त 2024.

कार्यालय आदेश

श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री लाल सिंह,  
निवासी ग्राम चौरा, तहसील व जिला बागेश्वर।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 465/मु0खनि0नि0 / जन0बागे0/2024-25 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके पक्षी ग्राम भैरु चौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत 2864 है०. क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे में सी०एम० हेल्थलान्ड से प्राप्त शिकायत क्रमांक CMHL-122023-9-486104 दिनांक 30-12-2023 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद बागेश्वर तथा राज्य विभाग के प्रतिनिधि रा०उप०नि०चौरा के साथ संयुक्त जांच ग्राम भैरुचौबट्टा तोक तिलाडी व शिकायत का स्थलीय निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री उमेश चंद की उपस्थिति में दिनांक 20-06-2024 को सम्पन्न किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा खनन किया जा रहा है, जिससे मकान को खतरा बन हुआ है। जिसकी उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि शिकायतकर्ता के घर के उपरी ऊंचाई वाले भू-भाग में श्री हरीश चन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के पक्ष में ग्राम भैरु चौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है तथा निरीक्षण के दौरान खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बंद पाया गया। खनन पट्टाधारक से दूरभाष से सम्पर्क किया गया और निर्देशित किया गया कि पूर्व किये गये खनन कार्य से हुये गढदे /पिट को तुरन्त भरा जाय तथा पानी की निकासी हेतु नालो को सही तरीके से खोला जाय। यदि खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की, स्वयं होगी। आपके पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम भैरु चौबट्टा के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टा का राज्य अभिलेखों से मिलान किया गया उक्त स्वीकृत क्षेत्र में आपके द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की नूनि में मलवा/निट्टी डाला गया है।

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिनूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थानों चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरवर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरवर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा। पट्टाधारक को मौके पर दूरभाष से निर्देशित किया गया कि मलवे को रौली से हटाये जाने तथा पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था करने व मलवे को नदी में तक जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलवा नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोक जा सकें तथा भूस्खलन आदि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाय, के कम में जिला खान अधिकारी बागेश्वर के द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रवाहित हो रहा है, जो दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने की सारतुति की गयी है।

जिला खान अफिचारी, भूतत्व एवं खनिकर्त विभाग, वामेश्वर को पत्र संख्या 300 / भूखनिकी / 2007-08/24 दिनांक 25/08/2024 के साथ निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी संख्या 300 / भूखनिकी / 2007-08/24 दिनांक 25/08/2024 के साथ प्रेषित पत्राचारक संख्या 300 / VII-A / 2024 24 08/2007 दिनांक 10/08/2024 द्वारा प्रेषित पत्राचारक संख्या 300 / VII-A / 2024 24 08/2007 दिनांक 10/08/2024 के प्रावधानानुसार आप पर ₹50 लाख (एक पचास लाख मात्र) का अग्रिम 5 के निम्न पर के उपनिष्पन्न (12) निर्देशित किया जाता है आपके द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में डाले गये मलबे को हटाने, पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था करने तथा पुंगर नदी में मलबे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशित पत्राचारक संख्या 300 लाख (एक पचास लाख मात्र) के अग्रिम सुनिश्चित निर्माणीय लेखाशीर्षक 0453 में जमा कराकर चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी वामेश्वर/जिला खान अफिचारी, भूतत्व एवं खनिकर्त विभाग, खनन वामेश्वर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराये तथा आपके द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में डाले गये मलबे को हटाने, पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था करने एवं पुंगर नदी में मलबे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल सेवा)

निदेशक

तददिनांकित।

संख्या - 300 / 2007-08/24 / भू0ख0-VII-(i) / 71 / खनन / वामेश्वर / भूखनिकी / 2007-08 / 24

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वामेश्वर।
2. जिला खान अफिचारी, भूतत्व एवं खनिकर्त विभाग, वामेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त पत्राचारक संख्या 300 लाख अर्थात् निर्देशित निर्माणीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पत्राचारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में डाले गये मलबे को हटाने, पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था करने तथा पुंगर नदी में मलबे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें, पत्राचारक द्वारा निर्देशित समानान्तर्गत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में डाले गये मलबे को हटाने, पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था करने तथा पुंगर नदी में मलबे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण न करने की दृष्टि में पत्राचारक के पत्र में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*(Handwritten Signature)*  
 (राजपाल सेवा)  
 निदेशक

465 / भूखनिचि / जनपद / 2024-25.

दिनांक 08/02/24

सेवा 1

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
उत्तराखण्ड।

विषय - पट्टाधारक श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम चौरा तहसील एवं जिला बागेश्वर के पक्ष में (2.864 है०) क्षेत्रफल ग्राम भैरुचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक श्री हरीश चन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम चौरा तहसील एवं जिला बागेश्वर के पक्ष में (2.864 है०) क्षेत्रफल ग्राम भैरुचौबट्टा, तहसील व जनपद बागेश्वर में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा में सी०एम० हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत क्रमांक CMHL-122023-9-426104 दिनांक 30.12.2024 के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद बागेश्वर तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि राजेश चौरा के साथ संयुक्त जांच ग्राम भैरुचौबट्टा तहसील में शिकायत का स्थलीय निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री उमेश चंद की उपस्थिति में दिनांक 20.06.2024 को सम्पन्न किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा खनन किया जा रहा है जिससे मकान को खतरा बना हुआ है। जिसकी उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त स्थान का मौका निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया है कि शिकायतकर्ता का घर के उत्पत्ती के गई वाले भू-भाग में श्री हरीश चन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के पक्ष में ग्राम भैरुचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है तथा निरीक्षण के दौरान खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द पाया गया। खनन पट्टाधारक से दूरभाष से सम्पर्क किया गया और निर्देशित किया गया कि पूर्ण किये गये खनन कार्य से हुये गड्ढे/पिट को तुरन्त भरा जाय तथा पानी की निकासी हेतु नालों को सही तरीके से डाला जाय। यदि खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की स्वयं होगी।

पट्टाधारक श्री हरीश चन्द्र सिंह के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम भैरुचौबट्टा में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा का राजस्व अभिलेख से मिलान किया गया उक्त स्वीकृत क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा अपने सीमा क्षेत्र से बाहर मलवा/मिट्टी डाली गयी है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर राजस्व सन्तुलन की भूमि में मलवा डाला गया है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शारदा औद्योगिक विनियम अनुभाग-1 संख्या 977/VII-A-1/2023-24(ख) /2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) खण्डाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर बर्डिंग/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से

स्विंग  
resista  
resista  
भावर बदन / मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टा 86 पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) प्रभारी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

पट्टाधारक को मौके पर दूरभाष से निर्देशित किया गया कि मलवे को रौली से हटाये जाने तथा पानी की निवासी के लिये उचित व्यवस्था करने व मलवे को नदी तक जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलवा नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोका जा सके तथा भूस्खलन आदि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य किये जाए।

उपरोक्त प्रकरण में श्री हरीश चन्द सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम चौरा तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

**संलग्न - फोटोग्राफ**

संख्या / भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25, तददिनांक।  
प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


भवदीय  


(जिज्ञासा विट)

प्रभारी जिला खान अधिकारी



प्रभारी जिला खान अधिका

  
8/8/24

n/c

## संयुक्त निरीक्षण आख्या

सी0एम0 हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत क्रमांक CMHL-122023-9-486104 दिनांक 30.12.2024 के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद वागेश्वर तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि रा0उप0नि0चौरा के साथ संयुक्त जांच ग्राम भैरुचौवट्टा तोक तिलाडी में शिकायत का स्थलीय निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री उमेश चंद की उपस्थिति में दिनांक 20.06.2024 को सम्पन्न किया गया है।


शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा खनन किया जा रहा है जिससे मकान को खतरा बना हुआ है। जिसकी उचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया है कि शिकायतकर्ता का घर के उपरी ऊंचाई वाले भू-भाग में श्री हरीश चंद्र पुत्र श्री लाल सिंह के पक्ष में ग्राम भैरुचौवट्टा तहसील व जनपद वागेश्वर में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है तथा पट्टाधारक द्वारा खनन उपरान्त मौके पर माइन में खनन कार्य बन्द है तथा मौके पर खेतों का निर्माण कार्य व गड्डों का भरण कार्य चल रहा था। खनन पट्टाधारक से दूरभाष से सम्पर्क किया गया और निर्देशित किया गया कि वह खनन कार्य से हुये गड्/पिट को तुरन्त भरा जाय तथा पानी की निकासी हेतु नालों को सही तरीके से खोला जाय यदि आपके द्वारा ससमय कार्य पूरा नहीं किया गया। उसके बाद यदि कोई अप्रिय घटना घटित होने पर पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की स्वयं होगी।


पट्टाधारक श्री हरिश चन्द्र के पक्ष में जनपद व तहसील वागेश्वर के ग्राम भैरुचौवट्टा में स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा का राजस्व अभिलेख से मिलान किया गया उक्त स्वीकृत क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र से बाहर मलवा/मिट्टी डाली गयी है। पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर राज्य सरकार की भूमि में मलवा डाला गया है।


अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 977/VII-A-\*/2023-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) स्वस्थाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों व ओवर बर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर बर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

उपरोक्त के क्रम में पट्टाधारक श्री हरिश चन्द्र द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जिस सम्बन्ध में पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि की संस्तुति की जाती है।

पट्टाधारक को मौके पर दूरभाष से निर्देशित किया गया कि मलवे को रोली से हटाये जाने तथा पानी की निकासी के लिये उचित व्यवस्था व मलवे को नदी तक जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दिवारो का निर्माण किया जाए ताकि मलवा नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोका जाए तथा भूस्खलन आदि को रोकने के लिये सुरक्षात्मक कार्य किये जाए।

  
राजेश उपनिरीक्षक  
9/10 क्षेत्र चौरा

  
सर्वेक्षक  
खनन विभाग

  
प्रभारी जिला खान अधिकारी  
वागेश्वर

Every m...  
annual l...  
power s...  
machin...  
be su...  
equ...



हरिश्चन्द्र धपाणा  
सोप स्थान साइन अरुमाकस्य

371264  
2843113  
10.16±19 m  
28 m  
14:35

47/  
131/89

संख्या में

श्रीमान पगारी जिला खान अधिकारी

भू-तत्त्व एवं खनिकर्मा इकाई वागेश्वर।

विषय- आपके कार्यालय पत्रांक 460 /भू0खानि0वि0/खनन/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 460 /भू0खानि0वि0/खनन/2024-25 दिनांक 07.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रार्थी के नाम ग्राम खोलियागाँव तहसील एवं जिला वागेश्वर में प्रार्थी के नाम स्वीकृत खनन पट्टे 13.167 हे० में सोप स्टोन खनन से निकले मलवे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा अपने खनन क्षेत्र से बाहर पड़ा मलवा हटा दिया गया है। जिसकी सूचना रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

अतः सूचनार्थ रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

दिनांक 13.09.2024

प्रार्थी

राजेश वर्मा

राजेश वर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र लाल वर्मा


प्रतिनिधि- राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय पुत्र प्रेम  
बल्लभ उपाध्याय।

संलग्न - फोटोग्राफ

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय वागेश्वर।

com  
stant  
No. 10 of  
An approv  
scrip





Treasury Form-209(1)  
Financial Handbook Vol. V, Part- II  
Form No. 43A(1)  
(See Paragraph 417 and 478)  
Challan form for depositing amount



Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status: (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	RAJENDRA PRAKASH UPADHYAY	
2	Address	SO PREM BALLABH UPADHYAY RO KHOLIGAON CHAURA TEHSIL AND DISTT BAGESHWAR	
3	Registration Number (if necessary)		
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	PENALTY FOR OVERBURDEN SHIFTED OUTSIDE LEASE AREA	
5	Gross value of Challan	500000	
6	Net value of Challan	500000	
7	Department	Director Geology and Mining Uttarakhand	
8	Related office for which challan is to be deposit	Directorate of Geology and Mining, District Office Bageshwar	
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below	
Sl. No	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	500000
Total Challan Amount-			500000

Amount (in words) - Rs. Five Lakh only

Signature of departmental officer with seal

RAJENDRA PRAKASH UPADHYAY

Challan No- 08531024E0014727

Amount in Figure(Rs.) - 500000

Date - 14-OCT-2024

Amount in words - Rs. Five Lakh only

Received Through

भयन सिंह (K. N. C.)  
अधीक्षक (क. न. सी.)  
बगेश्वर

Bank Ref. No. - CPAEISHYT2

संख्या 567 / भू0खनि0वि0 / जन0वागेश्वर0 / खनन / 2024-25,

दिनांक 4/9/24

श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय,  
पुत्र श्री प्रेम बल्लभ उपाध्याय,  
ग्राम खोलियागांव, पो0 चौरा,  
तहसील व जिला बागेश्वर।

विषय- ग्राम खोलियागांव, पो0 चौरा, तहसील व जिला बागेश्वर में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश 3116/भू0खन0-VII-(I)/98/खनन/वागेश्वर/भू0खनि0वि0/2005-6/24 दिनांक 18 अगस्त, 2024 के माध्यम से आपके पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्तर्गत कराने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 12 के प्रावधानानुसार आप पर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा आपके द्वारा खनन क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पर अधिरोपित धनराशि 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चलान की नूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा आपके द्वारा किये गये खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्तर्गत करने के उपरान्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

भवदीय,  
(जिज्ञासा विद्)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या / भू0खनि0वि0 / जन0वागेश्वर0 / नोटिस / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महादया बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(जिज्ञासा विद्)  
प्रभारी जिला खान अधिकारी

10/9/24

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
मोपालपानी, देहरादून।

संख्या /मु0ख0-VII-(i)/98/खनन/बागे0/भू0खनि0नि0/2005-06/24

दिनांक 16 अगस्त 2024,

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय,  
पुत्र श्री प्रेम बल्लम उपाध्याय,  
निवासी ग्राम खोलियागांव, पो0 चौरा, तहसील व जिला बागेश्वर।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 455/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अगवत कराया गया है कि आपके पक्ष ग्राम खोलियागांव, तहसील व जनपद बागेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत 13.167 है0, क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे का जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय के पत्र संख्या 748/तीस-खनन-मा0नु0म0है0ला0/2024-25, दिनांक 11-06-2024 के अनुपालन शिकायतकर्ता श्री पारस उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत के क्रम में संयुक्त जांच/निरीक्षण, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री महेश कालाकोटी की उपस्थिति में दिनांक 25-06-2024 को सम्पन्न किया गया। आपके पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र में की गयी अनियमितता शिकायतों की जांच मौके पर किया गया जिसमें खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलबा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है।

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थानों चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में अंवरबर्हन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अंवरबर्हन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा। उक्त के क्रम में आप पर अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलबा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है जिस सम्बन्ध में रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि की संस्तुति की गयी है तथा आपके प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि मलबे को नदी तक जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलबे को नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोका जाए तथा मूखलन आदि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाए के क्रम में जिला खान अधिकारी बागेश्वर के द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मलबा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रवाहित हो रहा है, को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का अर्ध दण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 455 / भू0खनि0वि0 / जन0बागे0 / 2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम (12) के प्रावधानान्तर्गत आप पर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तथा आपको यह भी निर्देशित किया जाता है आपके द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलबे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलबे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कचते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी बागेश्वर/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)

निदेशक

तददिनांकित।

संख्या :- 3116 / मु०ख०-VII-(i)/98/खनन/बागेश्वर/खनि०नि०/2005-06/24

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार पट्टाधारक से रू० 5.00 लाख अर्थदण्ड निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पट्टाधारक से एक माह के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करें। पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण न करने की दशा में पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)

निदेशक

455 / भूखनि0वि0 / जन0वाग0 / 2024-25.

दिनांक 7/08/24

सेवा में

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
उत्तराखण्ड।

विषय-

पट्टाधारक श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री प्रेम वल्लभ उपाध्याय, ग्राम खोलियागांव, पो0  
चौरा, तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में 13.167 है0 क्षेत्रफल ग्राम खोलियागांव, तहसील व  
जनपद बागेश्वर, में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री प्रेम वल्लभ उपाध्याय, ग्राम  
खोलियागांव, पो0 चौरा, तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में 13.167 है0, में ग्राम खोलियागांव, तहसील व  
जनपद बागेश्वर में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र  
संख्या 748/तीस-खनन-मा0यु0म0 है0ला0/ 2024-25 दिनांक 11.06.2024 के अनुपालन में ग्राम खोलियागांव  
पो0 ओ0 चौरा जनपद बागेश्वर में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय के पक्ष में सोपस्टोन का खनन पट्टा की जाँच  
निकायतकर्ता श्री पारस उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत के क्रम में संयुक्त जांच/निरीक्षण, राजस्व विभाग एवं  
खनन विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री महेश सिंह कालाकोटी की  
उपस्थिति में दिनांक 25.06.2024 को सम्पन्न किया गया।

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम खोलियागांव में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय के पक्ष में  
सोपस्टोन के खनन पट्टा का खनन में अनियमितता शिकायतों की जाँच मौके पर किया गया जिसमें खनन  
क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 977/VII-A-1/  
2023-24/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में  
आवर वर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से  
बाहर आवर वर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र)  
का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित  
किया जाएगा।

उक्त के क्रम में पट्टाधारक श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है जिस सम्बन्ध में पट्टाधारक पर ₹0 5,00,000.00 (₹0 लाख मात्र) की धनराशि की संस्तुति की जाती है।


पट्टाधारक के प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि मलवे को नदी तक जाने से रोकने हेतु सार्वजनिक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलवे को नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोका जाए। भूखलन आदि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य किये जाए।

उपरोक्त प्रकरण में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री प्रेम वल्लभ उपाध्याय, ग्राम खोदियागांव, पो0 01, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2022 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

भवदीय  
  
 (जिलासहायक विद्य)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या 455 / मूखनि0वि0 / जन0बागे0 / 2024-25, तददिनांक।  
 प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभारी जिला खान अधिकारी

12/2/24

C/C

## संयुक्त निरीक्षण आख्या


जिलाधिकारी महोदय वागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 748/सीएम-खनन-मा0यु0म0 है0ला0/25 दिनांक 11.06.2024 के अनुपालन में ग्राम खोलियागांव पो0 औ0 चौरा जनपद वागेश्वर में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय के पक्ष में सोपरटोन का खनन पट्टा की जाँच शिकायतकर्ता श्री पारस उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत के क्रम में संयुक्त जांच/निरीक्षण, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री महेश सिंह कालाकोटी की उपस्थिति में दिनांक 25.06.2024 को जांच किया गया।

जनपद व तहसील वागेश्वर के ग्राम खोलियागांव में श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय के पक्ष में सोपरटोन के खनन पट्टा का खनन में अनियमितता शिकायतों की जाँच गौके पर किया गया जिसमें खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है।


अदगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 977/VI-A-1/2023-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) खरथानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर बर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर बर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अतिरोधित किया जाएगा।

उपरोक्त के क्रम में पट्टाधारक श्री राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में भी प्रभावित हो रहा है जिस सम्बन्ध में पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि की संस्तुति की जाती है।

पट्टाधारक के प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि मलवे को नदी तक जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दिवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलवा नदी में जाने एवं पानी को दूषित होने से रोका जाए तथा मृन्मय आदि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य किये जाए।

  
राजेन्द्र उपाध्याय  
91/क्षेत्र चौराह

  
राजेन्द्र  
खनन विभाग

  
प्रभासी जिला खान अधिकारी  
वागेश्वर

Treasury Form-209(1)  
 Financial Handbook Vol. V, Part- II  
 Form No. 43A(1)  
 (See Paragraph 417 and 478)  
 Challan form for depositing amount



Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status (SI completed successfully)

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid)	SURENDRA SINGH BHAURYAL AND GOVIND SINGH
2	Address	Maholi District Bageshwar
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Penalty Challan deposited by Shri Moolnarayan Mines against notice no 421 dated 31 July 2024
5	Gross value of Challan	300000
6	Net value of Challan	300000
7	Department	Director Geology and Mining Uttarakhand
8	Related office for which challan is to be deposit	Directorate of Geology and Mining, District Office Bageshwar
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	300000
Total Challan Amount-			300000

Amount (in words) - Rs. Three Lakh only

Signature of departmental officer with seal

 SURENDRA SINGH BHAURYAL AND  
 GOVIND SINGH

Challan No- 08530125E0004892

Amount in Figure(Rs.) - 300000

Date - 03-JAN-2025

Amount in words - Rs. Three Lakh only

Received Through

Bank Ref. No. - HK0DB KET6


State Bank Of India (Payment Gateway)



100

e-Challan

Bank Ref. No. - IK0DASKXP2



Treasury Form-209(1)  
Financial Handbook Vol. V, Part-II  
Form No. 43A(1)  
(See Paragraph 417 and 47B)  
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

System (SI) Completed successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid)	SURENDRA SINGH BHAURYAL AND GOVIND SINGH
2	Address	Maholi District Bageshwar
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Penalty Challan deposited by Shri Moolnarayan Mines against notice no 421 dated 31 July 2024
5	Gross value of Challan	200000
6	Net value of Challan	200000
7	Department	Director Geology and Mining Uttarakhand
8	Related office for which challan is to be deposit	Directorate of Geology and Mining, District Office Bageshwar
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

Sl No	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	200000
Total Challan Amount-			200000

Amount in words) - Rs. Two Lakh only

Signature of departmental officer with seal

SURENDRA SINGH BHAURYAL AND  
GOVIND SINGH

Challan No- 08531224E0027757	Amount in Figure(Rs.) - 200000
Date - 13-DEC-2024	Amount in words - Rs. Two Lakh only
Received Through	
Bank Ref No - IK0DASKXP2	
State Bank Of India (Payment Gateway)	

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,  
जनपद बागेश्वर।

संख्या 421 / गू०खनि०वि० / जन०वाग० / नोटिस / 2024-25,

दिनांक 31/07/24

नोटिस

श्री सुरेन्द्र सिंह गौयाल पुत्र श्री खीम सिंह गौयाल,  
निवासी ग्राम किरौली, पोस्ट सनेती, तहसील दुगनाकुरी,  
जिला बागेश्वर।

एवं

श्री गोविन्द सिंह घागी पुत्र श्री लक्ष्म सिंह घागी,  
निवासी ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर।

अवगत कराना है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश 2007/गू०ख०/21/खनन/वाग०/गू०खनि०वि०/2015-16/24, दिनांक 09 जुलाई, 2024 के माध्यम से आपके पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से निकल मलवे को खनन स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत की भूमि तथा रौलियों में मलवा डाले जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड एप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 12 के प्रावधानानुसार आप पर ₹० 5.00 लाख (₹० पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा आपके द्वारा खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत भूमि तथा रौलियों में डाले गये मलवे को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाव जान के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पर अधिरोपित घनराशि ₹० 5.00 लाख (₹० पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चालान को एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा आपके द्वारा किये गये खनन कार्य से बाहर वन पंचायत की भूमि तथा रौलियों में मलवा एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाने के उपरान्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा को निरस्त करने का कार्यवाही कर दी जायेगी।

भवदीय,

(जिज्ञासु सिंह)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या 421 / गू०खनि०वि० / जन०वाग० / नोटिस / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महादया बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।

Accepted by  
C. S. D.

प्रभारी जिला खान अधिकारी

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,  
जनपद नगेश्वर।

संख्या ११४ / भूखनि०वि० / जन०वा० / 2023-24.

दिनांक 01/07/24

सेवा में

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
उत्तराखण्ड।

विषय- पट्टाधारक श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल निवासी ग्राम किरौली, पोस्ट सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लछम सिंह धामी निवासी ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर में 02.489 हे० क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि सी०एण०टैलरलाईन पर प्राप्त भिक्कायत के सम्बन्ध में दिनांक 26.06.2024 को तहसील दुगनाकुरी के ग्राम महोली में श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल निवासी ग्राम किरौली, पोस्ट सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लछम सिंह धामी निवासी ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का निरीक्षण राज्य विभाग तथा खनन विभाग द्वारा पट्टाधारक श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल तथा शिक्कायतकर्ता की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से निकला मलवा अपने खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत भूमि में डाला गया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा सैली के खेत नम्बर 122, खेत नं० 236 एवं 238, खा०सं० 70 श्रेणी 10(1) में मलवा पड़ा है। उक्त नालों/सैलियों में मलवा डम किया गया है। डम्पिंग जोन के नीचे सैली में गांवों के पेयजल स्रोत हैं, जिस कारण मलवे से पेयजल दूषित होना पाया गया है। उक्त सैली एवं वनपंचायत में रखी मिट्टी/मलवा खनन क्षेत्र के बाहर पाया गया।

अगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन आंचौगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वरथाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रु० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल निवासी ग्राम किरौली, पोस्ट सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लछम सिंह धामी निवासी ग्राम महोली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत की भूमि तथा सैलियों में मलवा डालने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रु० 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिसूचित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

भवदीय  
Signature  
(जिज्ञासा विष्ट)  
प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या / भूखनि०वि० / जन०वा० / 2023-24, तददिनांक।  
प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर को सादर सूचनाथ प्रेषित।

Signature  
04/7/24

Signature  
(जिज्ञासा विष्ट)  
प्रभारी जिला खान अधिकारी

संयुक्त निरीक्षण (भारत)

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत क्रमांक CMHA-052024-2-554068 एवं क्रमांक PWD/E/2024/0073135 के तहत संयुक्त पांच राज्यों विभाग एवं स्थान विभाग द्वारा शिकायतकर्ता श्री धानवत सिंह राठी एवं पत्न्याशरक श्री सुरेन्द्र सिंह श्रीवाला के द्वारा जे.टी. दिनांक 26/06/2024 को ग्राम मसोली में अवैध खनन एवं पेयजल स्रोतों के बाहर अप्रिय जैव का प्रदूषण को रोकने की गयी।

जनपद लखीसराय नरसिंह दुगनाकुंरी के ग्राम मसोली में पत्न्याशरक श्री सुरेन्द्र सिंह श्रीवाला एवं श्रीवा-4 सिंह धामी के पक्ष में स्वीकृत खनन कार्य में अवैध खनन के आधार पर मौके की जांच की गयी जिसमें खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर वनपंचायत भूमि में मलवा डाला गया है तथा खनन क्षेत्र में भी मलवा डाला गया है। अवैध खनन के अनुसार मौके के क्षेत्र नम्बर 122, क्षेत्र नं० 236 एवं 238 खा० सं० 70 क्षेत्री 10(1) में मलवा पड़ा है। एकत नालों/शैलियों में मलवा डमक किया गया है। अप्रिय जैव के नीचे खनन में गावों के पेयजल स्रोत हैं, जिस कारण सड़क से पेयजल दूषित होना पाया गया है। एकत खनन एवं वनपंचायत में खनन मिलती खनन क्षेत्र से बाहर पाया गया है।

संकेत करना है कि उत्तराखण्ड शासन अधिनियम विकास अनुभाग-1 संख्या 988/PA-A-1/2023-24 ख/2004 दि० 16 जून 20 23 संख्या-45 के अंतर्गत 50 (12) स्थानों पर खनन हेतु स्वीकृत खनन पत्रों में बाहर वन/मिली/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जायेगा यदि पत्न्याशरक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बाहर वन/मलवा डाला जाता है तो सन्तान/पत्र धारक पर रु० 5,00,000/- (पांच लाख) का जुर्माना जिला स्थान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक द्वारा एवं खनन निदेशक द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

उपरोक्त के तहत पत्न्याशरक श्री सुरेन्द्र सिंह श्रीवाला एवं श्री गोविंद सिंह धामी के पक्ष में ग्राम मसोली में अपने स्वीकृत खनन पत्र क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जिस सम्बन्ध में पत्न्याशरक पर 5,00,000/- रुपये (पांच लाख) रुपए की धनराशि अधिरोपित की जाती है। पत्न्याशरक का मौके पर निवेदन किया गया कि वनपंचायत में खनन पर खनन के खनन को रोकने के लिए पुराने सुरक्षात्मक कार्य करे अन्यथा की स्थिति में या जोर अधिरोपित होने पर पत्न्याशरक स्वयं निवेदन करेंगे।

*(Signature)*  
RDA Haridwar  
26/06/24

*(Signature)*  
26/06/24

*(Signature)*  
26/06/24

*(Signature)*  
26/06/24

अथवा १.१.२

महाराज  
२०६/०२४

२०६/०२४  
अथवा १.१.२

सिद्ध  
२०६/०२४

हरे विद्यापति  
Bhagwan Singh

सुखदेव  
हरे पुराण

आस्था

आज दिनांक 26/06/2024 को माननीय सुपरीमात्री हेल्प लॉर्डन शिकायत  
क्रमांक PMOPJ/E/2024/0073135 दिनांक 16 अप्रैल 2024 शिकायतकर्ता  
श्री भगवत सिंह राठौर राफ-वीलोडी पो0-वीलोडी के शिकायत जो  
कि ग्राम महेली में खरिया खनन कोष में से रहे आनि गतिवता  
के सबन्ध में खरिया खनन कोष में जाकर शिकायतकर्ता श्री  
भगवत सिंह पतराहा/रक श्री सुरेश सिंह भांगाल एवं मार्गीभा के  
सम्मुख जांच की गयी जांच के समय निम्नलिखित बातें  
रहे

- भगवत सिंह राठौर
- जमेश सिंह राठौर
- चंचल सिंह
- सुरेश सिंह भांगाल

Bhakt Singh

~~Signature~~

Signature  
सुरेश सिंह भांगाल

Signature  
RSI  
Haryana

Signature  
26/06/24

Signature  
26/06/24  
DNO, Bagerah

Email: dir. ulcdgm@gmail.com  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
गोपालपानी, देहरादून।

संख्या / ५००खनि०/११-(१)/टीसी/१०४४/खनन/भाग०/५००खनि०/२०११-१०/२४

दिनांक 23 अक्टूबर 2024.

कन्यालय आवेश

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गंगेश्वर, गंगेश्वर  
निवासी एम. ए. चारू असी, तहसील क. मोट जनपद गंगेश्वर।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गंगेश्वर के पत्र संख्या 598 / ५००खनि०/टीसी/१०४४/२०२४-२५ दिनांक 12.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके पत्र ग्राम वैडा मण्डल, महानंद नदी नजदीक गंगेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत 5.570 हे०, क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज संपादन के खनन पट्टे का जिलाधिकारी गंगेश्वर के पत्र संख्या 299/टीसी-खनन / 2023-24, दिनांक 25-01-2024 एवं पत्र संख्या 299/टीसी-खनन-विदि० / 2024-25 दिनांक 14-08-2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच, राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा सिकायतकर्ता श्री नदीन भट्ट तथा श्री भुवन भट्ट पुत्र स्व० देवी दत्त भट्ट तथा आपके प्रतिनिधि श्री रमेश राठी की उपस्थिति में दिनांक 31-08-2024 को सम्पन्न किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन क्षेत्र से निकला हुआ गलवा एकत्रित किया गया है, उक्त खेत नं० 671, 672, 673, 674, 669, 663, 664, 672 आदि खेतों में जो वर्षाकाल के दौरान सैली में जल प्रवाह अधिक होने से गलवा प्रवाह हो रहा है।

तथा ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2007-24/2007 दिनांक 16 जून 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थानों चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबैंड/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबैंड/मिट्टी/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर ₹ 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की सन्तुष्टि पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। उक्त के क्रम में आप पर अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर गलवा डाला गया है जिससे सम्बन्ध में ₹ 5,00,000 (पाँच लाख मात्र) का धनराशि की सन्तुष्टि की गयी है तथा आपके प्रतिनिधि को भी भीले के निर्देशित किया गया कि मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलवे को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जा सके, के क्रम में जिला खान अधिकारी गंगेश्वर के द्वारा आपके पत्र में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर ₹ 5.00 लाख का अर्थ दण्ड अधिरोपित करने की सन्तुष्टि की गयी है।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गंगेश्वर के पत्र संख्या 598 / ५००खनि०/टीसी/१०४४/२०२४-२५ दिनांक 12.09.2024 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी सन्तुष्टि सहित आख्या के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम (12) के अधिरोपित किया गया है तथा आपको यह भी निर्देशित किया जाता है आपके द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह में अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरानुसार अधिसूचित धनराशि ₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख) अतिरिक्त आसपास विभागीय लेखाशीर्षक 0053 में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी बागेश्वर/जिला खान कहर डाले गये मलवे को हटाने तथा मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेवा)

निदेशक

संख्या 23/9/24 मुद्रांक-VII (i)/टी0सी044/खनन/बागेश्वर/गू0खनि0नि0/2017-18/24, तददिनांकित।  
प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी बागेश्वर।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार पट्टाधारक से ₹0 5.00 लाख अर्धदण्ड निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पट्टाधारक से एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें। पट्टाधारक द्वारा निर्धारित आसपास खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण न करने की दशा में पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रेजत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेवा) 23/9/24  
निदेशक

संख्या 598 / भूतत्व/निदेश/जनपदबागेश्वर/2024 25.

दिनांक 12/09/2024

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
उत्तराखण्ड।

विषय:- खड़िया लाइसेंस धारी कुन्ती परिहार पत्नी श्री जवाहर सिंह परिहार, ग्राम व पो0असों अर्सी, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर को द्वारा ग्राम वैड़ा-मझेड़ा में सालाखोरी लोक में स्थित जमीन में जबरदस्ती खड़िया कटान करने बावत्।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, जनपद बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 299/तीस-खनन/2023-24 दिनांक 25.01.2024 व पत्र संख्या 914/तीस-खनन-विविध/2024-25 दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच राजस्व विभाग द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम वैड़ा-मझेड़ा में पट्टाधारक श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी जवाहर सिंह परिहार ग्राम व पो0असों तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन मार्इन की स्थलीय जांच शिकायतकर्ता श्री नवीन भट्ट तथा श्री भुवन भट्ट पुत्र स्व0 देवीदत्त भट्ट तथा पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री रमेश राठौर की उपस्थिति में दिनांक 31.08.2024 को सम्पन्न किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र से बाहर राली के किनारे खनन क्षेत्र से निकला हुआ मलवा एकत्रित किया गया है, उक्त खेत नं0 671, 672, 673, 670, 669, 663, 664, 872, आदि खेतों में जो वर्षाकाल के दौरान राली में जलप्रवाह अधिक होने से मलवा प्रवाह हो रहा है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 977/VII-A-1/2023-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर वर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर वर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।


उपरोक्त के क्रम में पट्टाधारक श्रीमती कुन्ती परिहार द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जिस सम्बन्ध में पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि की संस्तुति की जाती है। पट्टाधारक के प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि मलवे को खनन क्षेत्र से बाहर जाने

  
12/9/24

हेतु सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जाए ताकि मलबे को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जा सके।

उपरोक्त प्रकरण में श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी जवाहर सिंह परिहार ग्राम नं 10 अर्थात् तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलबा उखाड़ा गया है। उपरोक्त क दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पर्यवेक्षण पर रु० 5.00 लाख का अर्शदण्ड अधिसूचित किये जाने हेतु आस्था संस्थान संकेत बाहर प्रेषित।

भवदीय



(निदेशाधीन विवर)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या /भू०खनि०वि०/जन०बाग०/2024-25, तददिनांक।  
प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।



प्रभारी जिला खान अधिकारी

(6/C)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 19/12/24 को ग्राम काटुगारा राजस्व उपनिवेश क्षेत्र विलखेत में मौका नं० 05 एवं 06 मिनरलस के खनन परीक्षा निरीक्षण किया गया। मौका स्थल पर निरीक्षण प्रकार के प्रोद्योग नहीं पाये गये, पर्याप्त रूप नदी तल से पत्थरों की दिवार लगाया गया है, जो मानचित्र के अनुसार पीलर नं० 5, 6 व 7 मध्ये के बीच सीमा है। पीलर संख्या 05 राजस्व अधिलेख के खेत नं० 20 मध्ये दर्ज है। पीलर संख्या 06 खेत नम्बर 18 मध्ये दर्ज है, वर्तमान में उक्त रूप धारण के क्षेत्रांतर्गत खनन संक्रियाये बन्द है। पूर्व में पर्याप्त डाल किया गये खनन कार्य से क्षेत्रांतर्गत खनन स्थलान हुआ है। पूर्व में किया गया खनन का मलबा व बूझखालित मलुवा स्थित खनन क्षेत्र के बहर खेत नम्बर 19 एवं 20 मध्ये भागा हुआ है। अखिल क्षेत्र में नदी में जाने की सम्भावना है। पर्याप्त को मौके पर निरीक्षण किया गया कि मलुवे को अपने स्थित खनन क्षेत्रांतर्गत बल कर सुरक्षा दिवार लगाना एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित करेंगे। व नदी तल पर रोक्काम हेतु बुझा से हरी पट्टिका लगाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य नदी करने की दशा में पर्याप्त की स्वयं की जिम्मेदार होगी। चक्रावृत्त उपखनिज पीछा सिधदावर्त 2023 के सिक्क 50 का उपनियम 12 के अनुसार पर्याप्त पर 5,00,000/- (पांच लाख) रु की अर्थ वण्ड की सन्तुष्टि की जाही है।


19/12/24  
खाननिवेशक  
बोरोधवा


रॉड नं०  
30 नि०  
विलखेत

Signature  
19/12/24  
प्रभारत खान अधि नरपे  
बोरोधवा

## संयुक्त निरीक्षण आरख्या

दिनांक 27/12/2024 को खनन विभाग व सं राजस्व विभाग द्वारा तहसील दुगनाकुली के गांग किर्वा में भी प्रविण सीट पपीला के पक्ष में स्वीकृत समाप्त न्योपतोन खनन पट्टा का निरीक्षण भी प्रविण सीट पपीला के प्रतिनीधि श्री जगदीश सिंह चौहान के उपस्थिति में किया गया, जोके पर खनन पट्टा में प्रकरण का खनन कार्य होना नहीं पाया गया, मानसिक के मिलाज करने पर पूर्व में किये गये खनन कार्य से निकल मल्ला स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर शैली में जे कि गैर 5042 म० वर्ग है, एवं से पुनर् इर्ष भूमि जिसके क्षेत्र न० 4444 से ले कर 4467 तक रखा हुआ पाया गया, उक्त के जलिरिक मोंक निरीक्षण में फिलर नहीं पाये गये, उक्त प्रकरण पर उत्तराखण्ड उपखनन परिवार नियमावली 202 के नियम 50 का उपनियम 12 के अनुसार कार्यवाही करते हुये पट्टा धारक पररू 500000 (पाँच लाख मात्र) के अर्थवण्ड के संस्तुति कि जाती है, अवगत कराना है कि नोंके पर पट्टा धारक के प्रतिनीधि को सरल निर्देश दिए गये कि अविव्य में उनके द्वारा खनन कार्य अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में व शैली से दूर बनाते हुये ही कार्य करेगा तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रहे मल्ले को अपने ही स्वीकृत क्षेत्र में रखेगा।

  
 Rajesh Mohan

  
 M.S. Bhaswan

  
 DMS

संगठित निरीक्षण आदेश

आज दि० - 19-12-24 को गांव - कसली, पहा - तुपेट, तहसील - कागेश्वर  
 संगठित संचालित मैरुंगा मिट्टी, गांव - कसली का निरीक्षण प्रकिला  
 स्वतंत्र अधिकारी स्वतंत्र निरीक्षण, राण्डप निरीक्षण - तुपेट, तथा मादन प्रोविनिटि-मैरुंगा  
 की उपस्थिति में किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान मादन में फसलों  
 द्वारा कटा होता पाया गया निरीक्षण के दौरान मादन का फलवा, खेत नमूने नं  
 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902,  
 6903, 6904, 6905 नं०, तथा 6928 नं० डाला हुआ पाया गया, जैकि उक्त  
 खेत नमूने नं० स्वतंत्र स्वीकृत सीमा के बाहर हैं, निरीक्षण के दौरान खेत पर  
 सीमा चीलर बने इसे नहीं पाये गये, जिक हेतु मादन मैनेजर को सीमा चीलर  
 लगवाने तथा स्वतंत्र गांधि निर्धारित स्वतंत्र सीमा के अनुकार ही विषय जैसे  
 हेतु निर्देशित किया गया, चूंकि स्थलीय निरीक्षण के दौरान मादन का  
 फलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रखा हुआ पाया गया है, इस संबंध में स्वतंत्र  
 परिहार निमादनी 2023 के सिपद 50 का उपसिपद 12वां के अनुकार पहा  
 - धारक पर रु 5 लाख (रु पांच लाख मात्र) जुमाने की संसक्ति दी जाती है।

Arjun Singh

Abhi  
M.Z. bag.

19/12/24

19/12/24  
Dno, DZ

आज दिनांक 27/12/2024 को स्वयं विभाग द्वारा व राजस्व विभाग द्वारा गृह  
 पत्र में मै० गाँव दुर्गा गाँवसं खण्ड मिनरलस आगीदार श्री जीव मिंद  
 गाँव संत श्री गुरु मिंद गडिया के पक्ष में 10.340 हे० में स्वीकृत  
 स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पर्यावरण के साथ  
 अपने स्वयं क्षेत्र में स्वयं क्षेत्रे उपजात स्वयं क्षेत्र का मलमल स्वयं क्षेत्र  
 से बाहर स्वयं क्षेत्र के पीछे संत 8 और 9 से बाहर निरीक्षण करने  
 में मलमल फेंका गया हुआ पाया गया। क्षेत्र न० 3122 म० 3122,  
 3124 म०, 3129, 3130, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3615  
 3120, 3632 म०, 3634, 3638 म०, 3639 आदि। उक्त क्षेत्रों के मलमल  
 फेंका गया हुआ पाया गया। उक्त प्रकृत पर पर्यावरण उपस्थित  
 पश्चिम निपमाली 2098 के नियम 52 का उपनिष 12 के अनुसर  
 अपग्री करते हुए पर्यावरण पर 5 लाख रुपये के अर्द्ध हे  
 संस्तुती भी जाती है। मौके पर पर्यट के मैनेजर श्री नीरज कुमार  
 का निवेदन दिया जाये कि स्वीकृत क्षेत्र के अंदर रखे मलमल में  
 अपने स्वीकृत क्षेत्र के रॉली से इसी वजह से अपने स्वीकृत क्षेत्र  
 के पीछे रखे व स्वयं कार्य माइनिंग पक्ष के अउमल भी रहे।  
 उनके अतिरिक्त पर्यावरण के अतिरिक्त से निरीक्षण किया कि 5  
 क्षेत्रों के अंदर वजह से मुरहा दीवार भी रॉली के बगल में  
 इनिशियल करें। उक्त के अतिरिक्त मैला कचरा पर रॉली के अंदर  
 वरफ क्षेत्र न० 3641-3644 में भी मलमल रखा पत्रा गया। निर  
 एड मौके पर किमके डाय रखा गया इसकी पुष्टि भी हो जाणी।  
 कि गृहमाली द्वारा यह अकाल वरणा गण कि यह मलमल भी संरक्षि  
 पर्यावरण इसी रखा गया है।

*[Handwritten signature]*  
 H. S. ...

*[Handwritten signature]*  
 Dms, ...

प्रतीनीति  
 Nitika  
 27/12/2024

Abhi  
 M. S. Baghelwar

**114**  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,  
जनपद बागेश्वर।

संख्या / गू०खनि०वि० / जन०वा०ग० / 2024-25

दिनांक: 4/01/25

प्रति,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,  
उत्तराखण्ड खनिज भवन, देहरादून।

विषय-

पट्टाधारक श्री ठाकुर सिंह गढ़िया के पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन पट्टा नं० सुरकाली गांव सोपस्टोन माईन क्षेत्रफल 2.231 हे० ग्राम सुरकाली गांव तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर, के सम्बन्ध में।

संदर्भ

कृपया उपरोक्त विषयक श्री ठाकुर सिंह गढ़िया के पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन पट्टा नं० सुरकाली गांव सोपस्टोन माईन क्षेत्रफल 2.231 हे० ग्राम सुरकाली गांव तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर दिनांक 12-12-2024 को राजस्व विभाग व खनन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण सम्पन्न किया गया।

उक्त खनिज पट्टा में जाच के उपरान्त मानचित्र पर मिलान करने पर पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा खेत नं० 84 रकबा 0.078 हे० श्रेणी 9(3)5 में खड़ा गया है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 977/VII-A- / 222-24(ख) / 2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनिज पट्टा = जाच वर्डन मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र = जाच वर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर ₹0 5,00,000.00 (₹0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जमानत अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

उपरोक्त के क्रम में पट्टाधारक श्री ठाकुर सिंह गढ़िया द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा डाल गया है जाच वर्डन में पट्टाधारक पर ₹0 5,00,000.00 (₹0 पांच लाख मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड अधिरोपित की संस्तुति जमानत के अतिरिक्त पट्टाधारक व प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि मलवा का खनन/उत्खनन रखा जाय।

उपरोक्त प्रकरण में श्री ठाकुर सिंह गढ़िया के पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन पट्टा नं० सुरकाली गांव सोपस्टोन माईन क्षेत्रफल 2.231 हे० ग्राम सुरकाली गांव तहसील दुग नाकुरी जनपद बागेश्वर द्वारा खनन स्वीकृत क्षेत्र से बाहर मलवा खेत नं० 84 रकबा 0.078 हे० श्रेणी 9(3)5 में खड़ा गया है। उपरोक्त के दृष्टान्त उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 के अन्तर्गत पट्टाधारक पर ₹0 5,00,000.00 (₹0 पांच लाख मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर

संख्या / गू०खनि०वि० / जन०वा०ग० / 2024-25

संख्या 1024 / गू०खनि०वि० / जन०वा०ग० / 2024-25, तद्दिनांक।  
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड खनिज भवन, देहरादून।

भवदीय  
(जिज्ञासा बिष्ट)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

प्रभारी जिला खान अधिकारी



Email.dir.ukdgm@gmail.com  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 2531  
मु0ख0-VII-(i)/55/खनन/बागे0/भू0खनि0वि0/2010-11/24 दिनांक 14-अगस्त 2024,  
कार्यालय आदेश

श्री गुच्छेटी माइन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी,  
पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार,  
निवासी ग्राम उडलगांव, तहसील व जिला बागेश्वर।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 457/भू0खनि0वि0 /  
जन0बागे0/2023-24 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके पक्ष ग्राम नौ गांव तोक गुरछेटी  
तहसील व जमपद बागेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत 4.281 है०, क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे का संयुक्त  
निरीक्षण राजस्व विभाग तथा खनन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन  
काम से निकले मलवे/मिट्टी को अपने खनन क्षेत्र से बाहर डाला गया है। उक्त मलवा/मिट्टी खनन क्षेत्र से बाहर  
सरयू नदी में प्रवाहित हो रहा है। राजस्व अभिलेखानुसार उक्त मलवा पट्टाधारक के स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर  
जाता संख्या-17 खेत संख्या 557 अन्तर्गत कुल रकबा 0.020 है० क्षेत्रान्तर्गत डाला गया है, जो सरयू नदी में प्रवाहित  
हो रहा है।

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की  
अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप  
खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थानों चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन  
पट्टे में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से  
बहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान  
अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा, के कम में जिला  
खान अधिकारी बागेश्वर के द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर मलवा डाला गया है जो पुंगर नदी में  
प्रवाहित हो रहा है, को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के  
अनुसार पट्टाधारक पर रू० 5.00 लाख का अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर के पत्र संख्या 457 / भू0खनि0वि0 /  
जन0बागे0 /2023-24 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या के  
क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24  
ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5  
के नियम 50 के उपनियम (12) के प्राधानान्तर्गत आप पर रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) का जुर्माना  
अधिरोपित किया जाता है तथा आपको यह भी निर्देशित किया जाता है आपको द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले  
गये मलवे को हटाने, तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक  
माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) तत्काल सुरसगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी बागेश्वर/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा आपके द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने एवं पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)

निदेशक

संख्या :- 3331 मु०ख०-VII-(i)/55/खनन/बाग०/भू०खनि०नि०/2010-11/24 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी बागेश्वर।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार पट्टाधारक से रू० 5.00 \*लाख अर्थदण्ड निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें। पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर डाले गये मलवे को हटाने तथा पुंगर नदी में मलवे को जाने से रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण न करने की दृष्टि से पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*(राजपाल लेघा)*  
24/8/24  
(राजपाल लेघा)  
निदेशक

/भू0खनि0वि0/जन0वागे0/2023-24.

दिनांक 07/08/24

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय  
उत्तराखण्ड।

विषय:-

पट्टाधारक मै0 गुच्छेटी माईन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार के पक्ष में जनपद व बागेश्वर ग्राम नौगांव तोक गुरछेटी में 4281 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन खनन पट्टा के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2024 को पट्टाधारक मै0 गुच्छेटी माईन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार के पक्ष में जनपद व बागेश्वर ग्राम नौगांव तोक गुरछेटी में 4281 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा का संयुक्त भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा खनन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे/मिट्टी को अपने खनन क्षेत्र से बाहर डाला गया है। उक्त मलवा/मिट्टी खनन क्षेत्र से बाहर सरयू नदी में प्रवाहित हो रहा है। राजस्व अभिलेखानुसार उक्त मलवा पट्टाधारक के स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खाता संख्या 17 खनन संख्या 557 अन्तर्गत कुल रकवा 0.020 है0 क्षेत्रान्तर्गत डाला गया है, जो कि सरयू नदी में प्रवाहित हो रहा है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-3-2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अतिरिक्त किया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में मै0 गुच्छेटी माईन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर डाला जाना उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना अतिरिक्त किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

संख्या 11/1/ /भू0खनि0वि0/जन0वागे0/2023-24, तददिनांक।  
प्रतिनिधि- जिलाधिकारी महादया बागेश्वर का सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

17/8/24

भरदोस  
Sijpal  
(जिज्ञासा बिष्ट)  
प्रभारी जिला खान अधिकारीSijpal  
(जिज्ञासा बिष्ट)  
प्रभारी जिला खान अधिकारी

### संयुक्त निरीक्षण आख्या

दिनांक 02.07.2024 को पट्टाधारक मै० गुच्छेटी माईन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार के पक्ष में जनपद व बागेश्वर ग्राम नौगांव तोक गुरछेटी में 4281 है० खनन क्षेत्र में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग तथा खनन विभाग द्वारा किया गया। निरीक्षण पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे/मिट्टी को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर डाला गया है। उक्त

खनन क्षेत्र से बाहर खाता संख्या 17 खेत संख्या 557 अन्तर्गत कुल रकबा 0.029 है० क्षेत्रान्तर्गत डाला गया है। ज्ञ कि सरयू नदी में प्रवाहित हो रहा है। राजस्व अभिलेखानुसार उक्त मलवा पट्टाधारक के 1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-50 (12) में उल्लिखित है कि स्वस्थाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर न डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है तो मजकूर पट्टाधारक पर रु० 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अतः प्रकरण में मै० गुच्छेटी माईन्स पार्टनर श्री मनोहर सिंह दफौटी पुत्र श्री करम सिंह दफौटी एवं श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार द्वारा खनन कार्य से निकले मलवे को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर डाल जाने का उक्त अधिसूचित होता है।

श्री. गुमान सिंह परिहार  
पट्टाधारक

श्री. मनोहर सिंह दफौटी  
पट्टाधारक

श्री. करम सिंह दफौटी  
पट्टाधारक

श्री. तारा सिंह परिहार  
पट्टाधारक